

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल - 462021

क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.प्रतिक्षा/2007/1021

भोपाल, दिनांक 21 जून 2007

:: आदेश ::

प्रचलित विभागीय भर्ती तथा पदोन्नति नियम-1982 एवं नियमों में राजपत्र दिनांक 21.03.2007 द्वारा किये गये संघोशन तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति), नियम, 2002 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश की अध्यक्षता में सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 23.3.2007 में पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय (वेतनमान 5500-175-9000) को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी (वेतनमान 6500-200-10500) के पद पर पदोन्नत किया जाकर कालम-5 में अंकित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ किया जाता है :-

स.क्र.	प्र.अ. मावि के पद पर राज्य वरिष्ठता क्रमांक	जिला	लोक सेवक का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरांत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर नवीन पदस्थापना
1	2	3	4	5
1	161	इन्दौर	श्री मदनलाल गुप्ता, शास माध्य.विद्यालय बडी कलमेर	कार्या. वि.ख.शि.अधि. महु जिला-इन्दौर
2	165	इन्दौर	श्री रमेश शर्मा, शास.माध्य.विद्या.क.52 इन्दौर	कार्या. वि.ख.शि.अधि. देवास जिला-देवास
3	166	मंदसौर	श्री एम.अल्ताफ बैग, शास. उ.मा.वि.आदर्श गांधीसागर 3	कार्या. वि.ख.शि.अधि. मल्होगढ जिला- मंदसौर
4	167	इन्दौर	श्री नरेन्द्र जैन, शास.कन्या माध्य.विद्या. राउ	कार्या. वि.ख.शि.अधि. टोकखुर्द देवास
5	169	राजगढ	श्री इन्द्रनारायण जाट, शास.माध्य.विद्या.आगर	कार्या. वि.ख.शि.अधि जीरापुर राजगढ
6	171	दतिया	श्री बाबूलाल शर्मा, शास.माध्य.विद्या.कामद	कार्या. वि.ख.शि.अधि. सेवढा दतिया
7	172	ग्वालियर	श्रीमती मुन्नी चौहान शास.कन्या माध्य.विद्या.एस.ए.एफ.कम्पू	कार्या. वि.ख.शि.अधि शिवपुरी
8	173	ग्वालियर	श्री जयप्रकाश शर्मा, शास.माध्य.विद्या.मोतीझील	कार्या. वि.ख.शि.अधि पिछोर शिवपुरी.
9	174	मुरैना	श्री रामबरण शर्मा शास.माध्य.विद्या.मई जोरा	कार्या. वि.ख.शि.अधि.सबलगढ मुरैना
10	177	मुरैना	श्री कैलाश चन्द्र जन शास जीडीजैन माध्य.विद्या मुरैना	कार्या. वि.ख.शि.अधि. करेरा शिवपुरी

11	180	नीमच	श्रीमती इन्दुलता प्रधान शास कन्या माध्य.विद्या.क.1 नीमच कैट	कार्या. वि.ख.शि.अधि. जावघ नीमच
12	181	नीमच	श्री अजीर्जुरहमान खान शास.माध्य.विद्या.लुहारियाचुण्डावत	कार्या. वि.ख.शि.अधि. जावरा रतलाम
13	182	रतलाम	श्री ओमप्रकाश मोदी शास.माध्य.विद्या.रोजाना	कार्या. वि.ख.शि.अधि. आलोट रतलाम
14	184	शाजापुर	श्री सूरजमल कुल्मी शास.माध्य.विद्या.मोल्याखेडी	कार्या. वि.ख.शि.अधि. शुजालपुर जिला शाजापुर
15	185	उज्जैन	श्री भूपेन्द्र कुमार शाह शास माध्य.विद्या.बामोरा उज्जैन	कार्या. वि.ख.शि.अधि. तराना उज्जैन
16	186	उज्जैन	श्री रमेश चन्द्र गोयल शास माध्य.विद्या.नलवा उज्जैन	कार्या. वि.ख.शि.अधि. महिदपुर उज्जैन
17	188	जबलपुर	श्रीमती सी.पी.कपूर शास.माध्य.विद्या.सरोली	कार्या. वि.ख.शि.अधि. शहपुरा जबलपुर
18	189	जबलपुर	श्री आर.पी.दुबे शास माध्य.विद्या.मोहनी	कार्या. वि.ख.शि.अधि. पाटन जबलपुर
19	191	जबलपुर	श्री एच.सोनी, शास.माध्य.विद्या.दरगढ	कार्या. वि.ख.शि.अधि. सीहोरा जबलपुर
20	192	नरसिंहपुर	श्रीमती राजकुमारी पटेल शास.माध्य.विद्या.रामपिपरीया	कार्या. वि.ख.शि.अधि. गोटेगांव नरसिंहपुर
21	194	नीमच	श्री रमेश चन्द्र सिंहल शास.मा.वि.बा. बघाना	कार्या. वि.ख.शि.अधि. सितामउ मंदसौर
22	195	रतलाम	श्री रमेश चन्द्र उपाध्याय, शास.माध्य.विद्या.बोर्डियाकुआ जावरा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. रतलाम
23	196	सागर	श्रीमती कोकिला जैन, शास.माध्य.विद्या.मकरोनिया	कार्या. वि.ख.शि.अधि. मालथोन
24	197	सागर	श्री बी.पी.पाठक शास.माध्य.विद्या.कन्या ढाना	कार्या. वि.ख.शि.अधि. रेहली सागर
25	199	सागर	श्री कोमलचंद जैन शास.माध्य.विद्या.न.बंडा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. शाहगढ सागर
26	200	टीकमगढ	श्री बी.एस.यादव शास.माध्य.विद्या.बालक टेहरका	कार्या. वि.ख.शि.अधि. टीकमगढ
27	201	टीकमगढ	श्री व्ही.डी.व्यास शास.माध्य.विद्या.जानकीबाग	कार्या. वि.ख.शि.अधि. बिजावर छतरपुर
28	202	सीहोर	श्री एच.एन.निगोदिया शास.माध्य.विद्या.मुंगावलि	कार्या. वि.ख.शि.अधि. बुदनी सीहोर
29	203	सीहोर	श्री एच.डी.यादव शास.माध्य.विद्या.नसरुल्लागंज	कार्या. वि.ख.शि.अधि. सीहोर
30	204	टीकमगढ	श्री एन.डी.यादव शास माध्य.विद्या.घुघसी	कार्या. वि.ख.शि.अधि. लौडी छतरपुर
31	592	सीधी	श्री छोटेप्रसाद प्रजापति शास.उमावि धुम्मा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. मझौली सीधी

2

32	593	उमरिया	श्री लख्मू प्रसाद चौधरी शास.माध्य.विद्या.किरनताल	कार्या. वि.ख.शि.अधि. मानपुर उमरिया
33	601	देवास	श्री नारायण सिंह सिन्दल / शास.माध्य.विद्या.घिचलाय सोनकच्छ	कार्या. वि.ख.शि.अधि. बागली देवास
34	627	रीवा	श्री वैद्यनाथ प्रसाद वर्मा शास.माध्य.विद्या.गंगेव	कार्या. वि.ख.शि.अधि. हनुमना रीवा
35	628	रीवा	श्री हरिनाथ दास वर्मा शास.माध्य.विद्या.ढखरा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. गंगेव रीवा
36	629	रीवा	श्री शालिकराम साकेत शास.माध्य.विद्या.क.1 करहिया	कार्या. वि.ख.शि.अधि. मझगवां सतना
37	638	सतना	श्री जगतपाल पासी, शास.पूर्व माध्य.विद्या अर्जुनपुर	कार्या. वि.ख.शि.अधि. रीठी कटनी
38	647	रीवा	श्री त्रिवेनी प्रसाद साकेत शास.उमावि ढेरा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. कुण्डम जबलपुर
39	648	रीवा	श्री लक्ष्मण प्रसाद साकेत शास.माध्य.विद्या. बधवा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. नरसिंहपुर
40	873	छिन्दवाडा	श्री देशु सरयाम शास.माध्य.विद्या.बरारीया	कार्या. वि.ख.शि.अधि. चौरई छिन्दवाडा
41	874	छिन्दवाडा	श्री व्ही.परतेती, शास माध्य.विद्या.बैरागढ सौसर	कार्या. वि.ख.शि.अधि. परासिया छिन्दवाडा
42	876	छिन्दवाडा	श्री के.पी.सरयाम, शास.माध्य.विद्या.सिहोरा मडका	कार्या. वि.ख.शि.अधि. अमरवाडा छिन्दवाडा
43	879	बेतूल	श्रीमती चेतना सरयाम शास.माध्य.विद्या.महदगांव	कार्या. वि.ख.शि.अधि. वारासिवनी बालाघाट
44	898	रीवा	श्री सिताराम कॉल शास हाईस्कूल खमरिया चौबे	कार्या. वि.ख.शि.अधि. दमोह
45	899	रीवा	श्री साधुलाल कोल शास.माध्य.विद्या.डभोरा	कार्या. वि.ख.शि.अधि. तेदूखेडा दमोह
46	900	रीवा	श्री मन्नीलाल कोल शास.माध्य.विद्या.बधईकी पाटी	कार्या. वि.ख.शि.अधि. बटीयागढ दमोह
47	905	रीवा	श्री बंशपति प्रसाद कोल शास.माध्य.विद्या छत्रगढ	कार्या. वि.ख.शि.अधि. बाबई होशंगाबाद

2/- पदोन्नति में वर्तमान में प्रचलित आरक्षण नियमों का पूर्णतः पालन किया गया है ।

3/- उक्त पदोन्नति निम्न शर्तों के अधीन रहेगी :-

- 3.1 पदोन्नत लोक सेवक को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 28.6.2007 तक पदभार ग्रहण करना होगा । संलग्न प्रपत्र-1 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को एकीकृत रूप में प्रेषित की जायेगी । जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिनांक 29.6.2007 को निर्धारित प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.6.2007 को ही अपरान्ह में संलग्न प्रपत्र-2 में पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना स्थान के लिए

- भारमुक्त किया जायेगा और उन्हें तत्काल कार्यभार ग्रहण करना होगा । पदोन्नत लोक सेवक को नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्य भार ग्रहण करने हेतु किसी भी तरह के अवकाश की पात्रता नहीं होगी ।
- 3.2 वर्तमान में विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पूर्व से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत व्याख्याता नव पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के उपस्थित होने पर उन्हें प्रभार देकर अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगे । इस हेतु संलग्न प्रपत्र-3 में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तात्कालिक पदस्थापना संबंधी आदेश जारी किये जायेंगे ऐसे सभी व्याख्याताओं का जिले के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयमान से रिक्त व्याख्याताओं के पद पर पदस्थापना का प्रस्ताव एकल नस्ती में एकीकृत रूप में जिला शिक्षा अधिकारी संचालनालय में दिनांक 1.7.2007 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे । जिले में पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में तद्विषयक जानकारी भी जिला शिक्षा अधिकारी उक्त दिनांक तक प्रस्तुत करेंगे ।
- 3.3 यदि पदोन्नत लोक सेवक निर्धारित तिथि 28.6.2007 तक संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है तो उस लोक सेवक की पदोन्नति स्वतः निरस्त हो जायेगी। यदि पदोन्नत लोक सेवक पदोन्नति से इन्कार करना चाहता है तो वह स्वयं के हस्ताक्षर के साथ इस आशय का आयुक्त लोक शिक्षण के नाम लिखित आवेदन दो प्रतियों में संबंधित संस्था प्रधान के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को दिनांक 28.6.2007 तक प्रस्तुत करेगा और ऐसी स्थिति में संलग्न प्रपत्र-4 में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों को सूचित किया जायेगा और संबंधित संस्था प्रमुख एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसे प्राप्त आवेदन दिनांक 1.7.2007 तक अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के समक्ष इस प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेंगे कि पदोन्नति अस्वीकार करने संबंधी टीप की प्रविष्टि लोक सेवक की सेवापुस्तिका में कर दी गई है । ऐसे प्राप्त आवेदन की एक प्रति भी लोक सेवक के व्यक्तिगत सेवा अभिलेख में संधारित किये जायेंगे । साथ ही ऐसे पदोन्नत लोक सेवक जिनके द्वारा दिनांक 28.6.2007 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति नहीं दी जाती और दिनांक 29.6.2007 के प्रशिक्षण में भाग नहीं लिया जाता और पदोन्नति अस्वीकार करने की लिखित सूचना भी नहीं दी जाती उनके संबंध में संलग्न प्रपत्र-5 में संबंधित लोक सेवकों को उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त हो जाने की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी । यह कार्रवाई संस्था प्रधान एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अत्यन्त सतर्कता एवं तत्परता के साथ की जायेगी ताकि पदोन्नति अस्वीकार करने वाले लोक सेवक के स्थान पर प्रतीक्षा सूची से लोक सेवकों को पदोन्नत किया जाकर पद पूर्ति की जा सकें ।
- 3.4 मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम - 2002 की कण्डिका 6 (15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति के उदभूत होने तक, जो भी पश्चातवर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।
- 3.5 पदोन्नत लोक सेवक द्वारा पदोन्नति का लाभ नहीं लेने की स्थिति में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र./एफ1-1/1/वेआप्र/99, दिनांक 05.07.2002/23.09.2002 के प्रावधान अनुरूप उसे 24 वर्ष की सेवा उपरांत दिये गये क्रमोन्नत वेतनमान के लाभ की पात्रता नहीं रहेगी । किन्तु ऐसे प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय जिनकी शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर है और पूर्व में व्याख्याता के पद पर पदोन्नत नहीं हुये हैं, उन्हें यह विकल्प रहेगा कि वह भविष्य में व्याख्याता पद पर पदोन्नति के लिए विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का परित्याग कर सकते हैं । इस स्थिति में उन्हें क्रमोन्नति वेतनमान के लाभ से वंचित नहीं किया जायेगा ।
- 3.6 पदोन्नत लोक सेवक को 12 वर्ष की सेवा उपरान्त दिये गये वरिष्ठ वेतनमान को पदोन्नति अस्वीकार करने की स्थिति में भी वापस नहीं लिया जायेगा ।
- 3.7 पदोन्नत लोक सेवक का मूल विभाग स्कूल शिक्षा विभाग होना चाहिए । यदि आदिवासी विकास विभाग या अन्य विभाग का लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो वह कार्य मुक्त नहीं होगा तथा न ही उसे कार्य मुक्त किया जायेगा और न ही उसे पदोन्नत पद पर कार्य भार ग्रहण कराया जायेगा । ऐसी स्थिति निर्मित होने की

दशा में जहाँ संबंधित लोक सेवक द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा वही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी वस्तुस्थिति की जानकारी अधोस्ताक्षरकर्त्ता को अर्द्धशासकीय पत्र के द्वारा तत्काल प्रेषित की जायेगी । परन्तु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं अर्द्धवासी विकास विभाग के मध्य राज्य शासन के लिये गये नीतिगत निर्णय के अनुपालन में परस्पर स्थानांतरित संस्थाओं में से कोई लोक सेवक मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्र./एफ-44-27/94/20-2, दिनांक 03.01.2006 के अर्न्तगत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियित हुआ है और पदोन्नत किया गया है तो वह पदोन्नति का हकदार होगा और उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा ।


- 3.8 यदि पदोन्नत लोक सेवक के नाम, प्रवर्ग एवं वरिष्ठता इत्यादि में कोई अन्तर है तो ऐसे लोक सेवक को कार्य मुक्त न करते हुये उसके संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी इस कार्यालय को दिनांक 1.7.2007 तक उपलब्ध कराई जाये ताकि आवश्यक संशोधन/पदोन्नति आदेश की निरस्ती इत्यादि की कार्रवाई समयावधि में की जा सकें ।
- 3.9 पदोन्नत लोक सेवक को जिस प्रवर्ग में पदोन्नत किया गया है उसी प्रवर्ग का होना आवश्यक है । परन्तु अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के लोक सेवक पदोन्नति हेतु अनारक्षित प्रवर्ग की श्रेणी में नियमानुसार मान्य होंगे । इसके अतिरिक्त आरक्षित प्रवर्ग के वे लोक सेवक जो गुणानुक्रम में अनारक्षित प्रवर्ग के अन्तर्गत पदोन्नत हुये है वे भी पदोन्नति हेतु अनारक्षित प्रवर्ग मान्य रहेंगे ।
- 3.10 यदि पदोन्नत लोक सेवक निलंबित हो अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/अपराधिक प्रकरण इत्यादि वर्तमान में प्रचलित हो अथवा उसे पदोन्नति/पदस्थापना के संबंध में न्यायालयीन स्थगन इत्यादि का लाभ प्राप्त हो तो ऐसी स्थिति में उसे पदोन्नति पश्चात् पदस्थापना स्थान के लिए कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा और संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके संबंध में तथ्यात्मक प्रस्ताव अभिलेख के साथ दिनांक 1.7.2007 तक अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को उपलब्ध कराया जायेगा ।
- 3.11 यदि जिले के किसी प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय की वरिष्ठता का हनन हुआ है और वह पदोन्नति से छूट गया है और उसी प्रवर्ग के उससे कनिष्ठ अन्य लोक सेवक पदोन्नत हो गया है तो ऐसी स्थिति में कनिष्ठ लोक सेवक को पदोन्नति की पात्रता नहीं होगी और ऐसे छूटे हुये वरिष्ठता क्रम में आने वाले लोक सेवक के प्रकरण पर नियमानुसार विचार किया जायेगा । इस स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी दिनांक 1.7.2007 तक तथ्यात्मक जानकारी प्रस्तुत करेंगे ।
- 3.12 पदोन्नति आदेश का गुणानुक्रम ही पदोन्नत पद का वरिष्ठता क्रम रहेगा एवं पदोन्नति आदेश का दिनांक ही पदोन्नत पद की वरिष्ठता तिथि रहेगी । वरिष्ठता के संबंध में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि संदर्भ तिथि नहीं रहेगी ।
- 3.13 पदोन्नत लोक सेवक के वर्तमान संस्था प्रमुख/जिला शिक्षा अधिकारी पदोन्नत लोक सेवक को दी गई समय-सीमा में कार्यमुक्त करने एवं कार्यभार ग्रहण कराने के लिए उत्तरदायी रहेंगे । इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
- 3.14 यदि उल्लेखित शर्तों का निर्देशानुसार समय-सीमा में पालन नहीं किया जाता है तो इसके लिए संबंधित लोक सेवक, संस्था प्रमुख एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं उत्तरदायी रहेंगे ।
- 3.15 यह आदेश जारी होने के बाद आदेश में वर्णित अधिकारियों का किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा यदि कोई नवपदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी चिकित्सा अवकाश पर है, या चिकित्सा अवकाश हेतु आवेदन प्रस्तुत करता है तो उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।



3.16 आदेश में निम्नानुसार प्रवर्ग की वरिष्ठता एवं दिनांक के लोक सेवक पदोन्नत हुये हैं :-

- अनारक्षित प्रवर्ग के वरिष्ठता क्रमांक 204 दिनांक 09.08.85
- अनुसूचित जाति के वरिष्ठता क्रमांक 648 दिनांक 06.04.94
- अनुसूचित जनजाति के वरिष्ठता क्रमांक 905 दिनांक 25.1.96
-

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रपत्र 1 से 5


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश


पृ. क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो./2007/1022

भोपाल, दिनांक 21 जून 2007

प्रतिलिपि :-

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी /माननीय राज्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय-भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल ।
5. समस्त संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, संभाग-मध्यप्रदेश की ओर व्यक्तिगत स्तर से मानीटर करने एवं पालन सुनिश्चित कराने हेतु पालनार्थ ।
6. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
7. समस्त मुख्य कार्य पालन अधिकारी,, मध्यप्रदेश ।
8. समस्त कोषालय अधिकारी,, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित ।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर उक्तानुसार सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
10. सहायक संचालक (स्थापना-1 एवं 3) स्थानीय की ओर सूचनार्थ ।
11. सहायक संचालक (कम्प्यूटर) स्थानीय की ओर आज ही आदेश स्कैन कर ई-मेल सभी जिलों करने एवं जारी आदेश को विभागीय वेबसाइट पर रखने हेतु पालनार्थ ।
12. समस्त विभागीय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय, मध्यप्रदेश ।
13. संबंधित पदोन्नत लोक सेवक -----

की ओर सूचनार्थ तथा निर्धारित समयावधि में पालनार्थ ।


आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिला म.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.
/2007/1019 से 22 भोपाल, दिनांक 21-06-2007 के अनुपालन में नीचे लिखित प्रधानाध्यापक
माध्यमिक विद्यालय को विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर उनके सामने
दर्शाये विकास खण्ड में पदस्थ किया गया है। संबंधित पदोन्नत लोक सेवक ने संचालनालय
के आदेश के अनुक्रम में नीचे दर्शाये अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार
ग्रहण कर अपनी उपस्थिति दे दी हैं।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	नाम एवं पदांकित संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना वाले विकास खण्ड का नाम	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पद ग्रहण करने का दिनांक

जिला शिक्षा अधिकारी

पृष्ठा क्रमांक /

प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्य _____ की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित _____ की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक/

..... दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.
/2007/1019 से 22 भोपाल दिनांक 21.06.2007 के अनुपालन में निम्नलिखित
प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय को उनके सामने दर्शाये गये विकास खण्ड में विकास
खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर पदस्थापना की गई है। उनके द्वारा जिला
शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण उपरांत पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारियों
के लिये आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के बाद उन्हें पदांकन विकास खण्ड के लिये दिनांक
29.06.2007 को अपरान्ह में भारमुक्त किया जाता है।

स.क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी का नाम	नव पदांकित विकास खण्ड कार्यालय का नाम

जिला शिक्षा अधिकारी

पृष्ठा क्रमांक/
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्य _____ की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित _____ की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

✓

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

.....दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.
/2007/1019 से 22 भोपाल, दिनांक 21.06.2007 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग
से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है। इस पदोन्नति आदेश के
फलस्वरूप विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पूर्व पदस्थ निम्नलिखित व्याख्याताओं को
पदोन्नत विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कार्यमुक्त कर
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ किया जाता है। संबंधित की विषयवार पदस्थापना
का आदेश लोक शिक्षण संचालनालय से जारी किया जाएगा।

स.क्र.	व्याख्याता का नाम	विषय	कार्यरत संस्था का नाम

“आयुक्त द्वारा आदेशित”

जिला शिक्षा अधिकारी

पृष्ठा क्रमांक /
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्य _____ की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित व्याख्याता _____ की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी



कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.
/2007/1019 से 22 भोपाल, दिनांक 21.06.2007 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग
से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नतियों की गई हैं। इस आदेश के अनुक्रम
में निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को उनके सामने दर्शाये विकास खण्ड में पदोन्नत कर पदस्थ
किया गया था। संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा लिखित में यह सूचित किया गया है कि वे
स्वैच्छिक रूप से पदोन्नति का परित्याग कर रहे हैं और वे पदोन्नति पर नहीं जाना चाहते हैं
। अतः लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.
/2007/1019 से 22 भोपाल, दिनांक 21.06.2007 के अनुक्रम में उपरोक्त प्रधानाध्यापक का
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति का उक्त आदेश अप्रभावी हो गया है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्रधानाध्यापक का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना के विकास खण्ड का नाम

"आयुक्त द्वारा आदेशित"

जिला शिक्षा अधिकारी

पृष्ठा. क्रमांक /
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्य _____ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित की सेवा-पुस्तिका में उक्त आशय की प्रविष्टि अंकित करें।
3. संबंधित _____ की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी
जिलाम.प्र.

क्रमांक /

..... दिनांक

// कार्यालयीन आदेश //

लोक शिक्षण संचालनालय के आदेश क्र./स्था.2/राज/सी/21/बीईओ पदो.
/2007/1019 से 22 भोपाल, दिनांक 21-06-2007 द्वारा प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय संवर्ग
से विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति कर पदस्थापना की गई है। इस
आदेश में यह उल्लेखित है कि दिनांक 21-06-07 तक जो पदोन्नत लोक सेवक जिला
शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदोन्नति की उपस्थिति नहीं देगे, उनका पदोन्नति आदेश स्वतः
ही निरस्त हो जायेगा। संचालनालय के उक्त आदेश द्वारा निम्नलिखित प्रधानाध्यापकों को
विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नत कर उनके नाम के सामने अंकित विकास
खण्ड में पदस्थ किया गया था। उन्होंने निर्धारित तिथि तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय
में अपनी उपस्थिति नहीं दी है। अतः संचालनालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 21-06-2007 के
अनुक्रम में संबंधित प्रधानाध्यापक का पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त हो गया है। संबंधित को
सूचनार्थ यह आदेश जारी किया जा रहा है।

स. क्र.	संचालनालय के पदोन्नति आदेश का सरल क्रमांक	प्रधानाध्यापक मावि का नाम एवं कार्यरत संस्था	पदोन्नति उपरांत नवीन पदस्थापना वाले विकास खण्ड का नाम

"आयुक्त द्वारा आदेशित"

जिला शिक्षा अधिकारी

पृष्ठा. क्रमांक /
प्रतिलिपि-

..... दिनांक

1. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय की ओर सूचनार्थ।
2. संबंधित प्राचार्य _____ की ओर सूचनार्थ।
3. संबंधित _____ की ओर सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।

जिला शिक्षा अधिकारी

